प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष पेश।

> राज्य द्वारा एडीपीओ उप0। आरोपीगण सहित अधिवक्ता श्री सतीश मिश्रा

उप0।

फरियादी जगदीश एवं आहत राजेन्द्र तथा कपूरी उप0। फरियादी एवं आहतगण की पहचान अधिवक्ता श्री आर.बी. दौंदेरिया द्वारा की गयी।

आज दिनांक को उभयपक्षों द्वारा द.प्र.स. की धारा 320(2) के अंतर्गत राजीनामा आवेदन एवं लोक अदालत का डॉकेट भरकर पेश किया गया।

राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया।
प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे यह
पाया गया कि प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा०द०सं० की
धारा 294, 323 एवं 506 भाग—2 के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत
किया गया है। फरियादी जगदीश एव आहत राजेन्द्र तथा कपूरी
ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा
कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में है एवं
लोकनीति के अनुरूप है। अतः बाद विचार उभयपक्षों द्वारा
प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं उभयपक्षों
को प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमित प्रदान की जाती है।
राजीनामा के आधार पर आरोपी लक्ष्मणिसंह, सुरेश, एवं धारासिंह
को भा०द०सं० की धारा 294, 323 एवं 506 भाग—2 के आरोप से
दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है अतः उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।

प्रकरण में जप्तशुदा डण्डा मूल्यहीन होने से तोड़-तोड़ कर नष्ट किया जावे।

> प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण बागार भेजा जावे।

अभिलेखागार भेजा जावे। खण्डपीठ सदस्य. कृ.1—

- सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ कृ021 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

2/1